रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 20 जुलाई, 1983/29 आषाढ़, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(सी–शाखा)

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 जून 1983

संख्या 3-40/73-II.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या 3-40/73-जी. ए. सी. दिनांक 26-4-80 का प्रसंग जारी रखते हुए जिसके अन्तर्गत गोहर उप-तहसील का नाम गोहर के बजाए चच्योट सब-तहसील रखा गया था, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अब इस उप-तहसील का दर्जा बढ़ाकर इसे पूर्ण तहसील जिसका मुख्यालय चच्योट में रखने का तत्काल सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा,

ए० के० गोस्वामी,
सचिव ।

1366-राजपत्र/83–20-7-83—1,141.

मूल्य : 20 पैसे ।

राजस्व विभाग

(स्टाम्प-रजिस्ट्रेशन)

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जुलाई, 1983

संख्या राजस्व 1-3(स्टाम्प) 6/79.—इण्डियन स्टेम्प ऐक्ट 1899(1899 का 11) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (ए) के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों द्वारा भवन निर्माण और कार/वाहन के क्रय के लिए दिए गए ऋण/अग्रिम राशि के सम्बन्ध में निष्पादित बिलेख वाले शुल्क में 25 जनवरी, 1971 से सहर्ष छूट प्रदान करते हैं ।

आदेशानुसार,
एम0एस0 मुखर्जी,
सचिव ।

[*Authoritative English text of the Government Notification No. Rev.* 1-3 (*Stamp*) 6/79 *dated.... the June*, 1983 *as required under Article* 340 (3) *of the Constitution of India*].

REVENUE DEPARTMENT

(Stamp Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002 *the 2nd July*, 1983

No. Rev. 1-3 (Stamp) 6/79.—In exercise of the powers conferred upon him under clause (a) of Section 9 of Sub-Section (1) of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 11 of 1899), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to remit the duty chargeable under the said Act in respect of the instruments executed by the Members of the Legislative Assembly, Himachal Pradesh for the loans/advancas granted to them for house building and purchase of car/conveyance with effect from 25th January, 1971.

By order,
M. S. MUKHERJEE,
Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 6 जुलाई, 1983

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (5)-83/77.—क्योंकि श्री बाला राम प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायत डूमी मु0 3525/- रुपये की राशि दिनांक 17-1-67 से पंचायत निधि से निकालने और उसके पश्चात् इसी राशि को केवल थोड़े समय के लिए जमा कर पुनः निकालने और इसे निरन्तर दुरुपयोग तथा इसके अतिरिक्त मु0 2436.62 पैस

नकद का हिसाब न देने तथा स्कूल भवन डूमी के निर्माण की रु0 2000/- रुपये की राशि को 14-4-63 से अपने पास रखने और इस निधि का दुरुपयोग करने के दोषी पाये गये हैं;

और क्योंकि उक्त श्री बाला राम को ग्राम पंचायत डूमी के प्रधान पद से निष्कासित करने के लिए इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-10-81 के अन्तर्गत निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिसका उत्तर विभाग को अभी तक भी प्राप्त नहीं हुआ है । जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त श्री बाला राम, उसके विरुद्ध आरोपों के पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते,

और क्योंकि उक्त प्रधान का कृत्य एक ऐसा कृत्य है, जिसके फलस्वरूप उसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(डी) के अन्तर्गत उसके पद पर रखना जन हितार्थ नहीं है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री बाला राम को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(डी) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डूमी के प्रधान पद से निष्कासन के सहर्ष आदेश देते हैं ।

कारण बताओ नोटिस

शिमला-2, 7 जुलाई 1983

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5)-43/83.—क्योंकि ग्राम पंचायत निशानी, विकास खण्ड निरमण्ड के उप-प्रधान श्री मोहर सिंह 13-9-80 से लगातार अपनी बैठकों से अनुपस्थित है, अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(सी) के अन्तर्गत उक्त श्री मोहर सिंह को उनके पद पर रखना अबैध है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त श्री मोहर सिंह को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत यह कारण बताओ नोटिस देने का सहर्ष आदेश देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(ग) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निशानी के उप-प्रधान के पद से निष्कासित कर दिया जाए । उनका उत्तर जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को एक मास के भीतर-भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और तदोपरान्त उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।